दिनांक 22.02.2018 को प्रधान सचिव की अध्यक्षता में एल0पी0ए0 सं0 738/2015 राज्य सरकार एवं अन्य बनाम रामाशीष प्रसाद सिंह में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन की समीक्षा हेतु आयोजित बैठक की कार्यवाही :-

सर्वप्रथम प्रधान सचिव महोदय द्वारा एल०पी०ए० 738/2015 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर निर्गत किये जा रहे आदेश के अनुपालन में कृत्त कार्रवाई की समीक्षा की गई तथा विषय की गम्भीरता को देखकर उपस्थिति पदाधिकारियों को चरणवद्ध तरीके से निम्न कार्रवाई करने का निदेश दिया गया ।

1. प्रधान सचिव महोदय द्वारा राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा प्रतिवेदित अनाधिकृत अनुपस्थित 263 चिकित्सकों पर कृत कार्रवाई की अद्यतन स्थिति पर पृच्छा किये जाने पर अवर सचिव द्वारा बताया गया है कि सभी चिकित्सा पदाधिकारियों को नोटिस निर्गत किया गया है तथा शीघ्र इन अनाधिकृत अनुपस्थित चिकित्सकों के विरुद्ध विधिवत प्रपत्र-'क' प्राप्त होने पर विभागीय कार्रवाई प्रारंभ किया जायेगा।

   समीक्षोपरान्त प्रधान सचिव महोदय द्वारा निदेशित किया गया कि इतनी बड़ी संख्या में अनाधिकृत अनुपस्थित चिकित्सकों की संख्या प्रकाश में आने के फलस्वरूप इस पर कार्रवाइयों चरणवद्ध तरीके से की जाय यथा 5 वर्ष या उससे अधिक अनाधिकृत अनुपस्थित 60 चिकित्सकों के विरुद्ध विभाग के स्तर से आरोप पत्र गठित कर नियम-76 के अंतर्गत त्वरित कार्रवाई की जाय तथा इसी क्रम में अन्य 203 चिकित्सकों के संबंध में भी कार्ययोजना बनाकर कार्रवाई करने का निदेश प्रशाखा-9 को दिया गया।

2. प्रधान सचिव द्वारा एल०पी०ए० 738/2015 राज्य सरकार एवं अन्य बनाम रामाशीष प्रसाद सिंह में दिनांक-31.1.2018 को माननीय न्यायालय द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में प्रशाखा-17 को शीघ्र बिहार चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में कार्यरत एवं अनाधिकृत अनुपस्थित चिकित्सकों की सूची एक सप्ताह के अंदर प्रशाखा-2 एवं 9 को उपलब्ध कराने का निदेश देते हुये चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल से अनाधिकृत अनुपस्थित चिकित्सकों के विरुद्ध भी उपरोक्त समरूप तरीके से कार्ययोजना बनाकर कार्रवाई करने का आदेश दिया गया ।

3. बिहार में कार्यरत सामान्य चिकित्सक एवं विशेषज्ञ चिकित्सक तथा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में कार्यरत प्राध्यापक/सह-प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक/सिनियर रेजिडेंट, /ट्यूटर इत्यादि का डाटा HRIS Portal पर उपलब्ध रहने के समीक्षा के क्रम में श्री

D:>Sec-2-proseding2017

299(2) 03/3/2018

अरविन्द्र कुमार सिस्टम एनालिस्ट, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना द्वारा द्वारा बताया गया कि राज्य के 38 जिलों में 25 जिलों के सिविल सर्जन द्वारा सामान्य चिकित्सक /विशेषज्ञ चिकित्सक के डाटा की प्रविष्टि का सत्यापन किया गया तथा 13 जिलों के सिविल सर्जन द्वारा पर्याप्त रूचि नहीं लिया जा रहा है। इसी प्रकार राज्य में अवस्थित किसी भी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के प्राचार्य/अधीक्षक के द्वारा चिकित्सकों के डाटा को HRIS पर upload किये जाने एवं इसके सत्यापन की दिशा में सार्थक कार्रवाई नहीं की जा रही है।

प्रधान सचिव महोदय द्वारा उपरोक्त स्थिति पर गहरी चिन्ता व्यक्त करते हुये निदेश दिया गया कि इस प्रकार HRIS डाटा को Upload किये जाने तथा इसके सत्यापन एवं इसके सतत् आद्यतीकरण में अभिरूचि नहीं लेने वाले सभी सिविल सर्जन, प्राचार्य/अधीक्षक को उनके स्तर से अर्द्धसरकारी पत्र दिया जाय साथ ही यह भी निदेशित किया गया कि सभी आर०ए०डी०/सिविल सर्जन/प्राचार्य/अधीक्षक/अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों/स्वास्थ्य संस्थानों के प्रधान यह सुनिश्चित करेंगे की उनके स्थापना अन्तर्गत कार्यरत सभी प्रकार के पदाधिकारी/कर्मचारी का डाटा दिनांक–15.03.2018 तक HRIS पर Upload एवं अद्यतन हो जाय ।

सभी नियंत्री पदाधिकारी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करायेंगे की अप्रैल 2018 का वेतन विपत्र उनके स्थापना अन्तर्गत कार्यरत पदाधिकारियों/कर्मियों का ID Generate होने के बाद ही ID अंकित कर कोषागार में प्रस्तुत किया जाय।

(अनुपालन– अरविन्द्र कुमार सिस्टम एनालिस्ट, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना, प्रशाखा–2,3,17)

4. चिकित्सको से संबंधित डाटा के लगातार updation को दृष्टिगत रखते हुश्री अनिमेष सिन्हा एवं उनके साथ दो डाटा इन्ट्री ऑपरेटर की सेवा स्वास्थ्य विभागी में लेने एवं तदनरूप विभाग में बैठने इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया है। (श्री जगदीश कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी/निदेशक संयुक्त सचिव स्थापना)
5. समीक्षा के क्रम में बिहार चिकित्सा सेवा के Civil list के Upgradation हेतु सभी सिविल सर्जन/कार्यालय प्रधान के स्तर से प्राप्त हो रहे प्रपत्रों (कतिपय मामलों में स्वयं चिकित्सक द्वारा भी) में दर्ज डाटा को इन्ट्री किये जाने के सम्बन्ध में समीक्षोपरांत निदेश दिया गया कि सर्वप्रथम प्राप्त हुये प्रपत्र की छायाप्रति अरविन्द्र कुमार सिस्टम एनालिस्ट, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना को भी भेज दी जाय, परन्तु सभी आर०ए०डी/ सिविल सर्जन को

299(2)
05/3/18

भी इस आशय का निदेश निर्गत किया जाय की इन डाटा को अपने स्तर से भी Upload किया जाय तथा इस दिशा में उन्हें अपेक्षित तकनीकी जानकारियाँ उपलब्ध करने का निर्णय लिया गया।

समीक्षा के क्रम में अंत में यह निदेशित किया गया कि अनाधिकृत अनुपस्थिति चिकित्सकों के विरुद्ध मामले में सचेष्ट रहा जाय तथा यह सुनिश्चित किया जाय किसी भी परिस्थिति में अनाधिकृत अनुपस्थिति चिकित्सक को वेतन का भुगतान नहीं हो तथापि ऐसे मामले का संज्ञान में आने पर संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी तथा नियंत्री पदाधिकारी पर सभी, अपेक्षित कठोर कार्रवाई की जाय।

(जगदीश कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक : 2/कोर्ट-21/2011-299(2)/स्वा0, पटना, दिनांक : 05/3/2018

प्रतिलिपि : कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना/विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग/संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग/सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/सभी सिविल सर्जन, बिहार/सभी प्राचार्य/अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल/श्री जगदीश कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी,स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/श्री रंजीत कुमार सिन्हा, विशेष कार्य पदाधिकारी,स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/श्री नागेन्द्र प्रसाद, अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के निजी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : सभी जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार, पटना/सभी प्राचार्य राजकीय/आयुर्वेदिक/यूनानी/होमियोपैथिक, महाविद्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

विशेष कार्य पदाधिकारी।

D:>Sec-2-proseding2017